FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कोशल्यादेवी बनाम शेरसिंह वगै0

किस्म मुकदमा :—प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 23 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
13-02-23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय को पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में हक हिस्सों का निर्धारण मैरिट पर सुना तय होना है। अतः मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियों का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 23 केवाईडी बी के मु0नं0 79 / 43 की के किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा क0 / अ0क0 भूमि के संबंध में पूर्व में दिनांक 27.04.17 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक वादगत भूमि में मौके व रिकॉर्ड यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	